



राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में

Budget At A Glance

2020-21



राजस्थान शासन

आय—व्ययक एक दृष्टि में **Budget At A Glance** **2020-21**

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
RAJASTHAN, JAIPUR

आय-व्ययक एक दृष्टि में BUDGET AT A GLANCE 2020-21

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व प्राप्तियां Revenue Receipts	13787302.02	16400463.42	15671556.06	17340442.15
(i)	राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	5738034.03	7374256.90	7035143.15	7702961.15
(ii)	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	4185235.00	4446186.00	3604914.00	4688617.00
(iii)	कर भिन्न राजस्व Non-Tax Revenue	1860300.98	1912411.84	1959743.89	1959572.77
(iv)	केन्द्रीय सहायता Union Grant	2003732.01	2667608.68	3071755.02	2989291.23
2	पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना सहित) (i+ii+iii)	6648490.46	6900176.61	6813551.87	5236025.11
	Capital Receipts (With Uday Scheme)				
2अ	पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना रहित) (iअ+ii+iiiअ)	5148490.46	5427980.53	5341355.79	5236025.11
	Capital Receipts (Without Uday Scheme)				
(i)	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली (उदय योजना सहित) Recovery of Loans & Advances (With Uday Scheme)	1515841.56	1619250.90	1582457.68	75156.17
	इसमें से उदय योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण का अंशपूँजी एवं सहायतार्थ अनुदान में रूपान्तरण of which Conversion of Loan into Grant and Equity under Uday Scheme	(1500000.00)	(1472196.08)	(1472196.08)	(0.00)
(i)अ	उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना रहित) Recovery of Loans & Advances (Without Uday Scheme)	15841.56	147054.82	110261.60	75156.17
(ii)	विविध पूँजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	2012.54	2500.00	2500.00	3000.00
(iii)	लोक ऋण, शुद्ध लोक लेखा तथा आकस्मिकता निधि (उदय योजना सहित) Public Debt, Net Public Account and contingency Fund (With Uday Scheme)	5130636.36	5278425.71	5228594.19	5157868.94
(iii)अ	लोक ऋण, शुद्ध लोक लेखा तथा आकस्मिकता निधि (उदय योजना रहित) Public Debt, Net Public Account and Contingency Fund (Without Uday Scheme)	5130636.36	5278425.71	5228594.19	5157868.94
	(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which Repayments)	(1691479.82)	(2004352.87)	(2004979.30)	(1762274.33)
2.1	शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा (उदय योजना सहित) Net Public Debt and Public Account (With Uday Scheme)	3439156.54	3274072.84	3223614.89	3395594.61
2.1अ	शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा (उदय योजना रहित) Net Public Debt and Public Account (Without Uday Scheme)	3439156.54	3274072.84	3223614.89	3395594.61
3	कुल प्राप्तियां (उदय योजना सहित) (1+2) Total Receipts (With Uday Scheme)	20435792.48	23300640.03	22485107.93	22576467.26
3अ	कुल प्राप्तियां (उदय योजना रहित) (1+2अ) Total Receipts (Without Uday Scheme)	18935792.48	21828443.95	21012911.85	22576467.26

क्रमशः / Contd...

आय-व्ययक एक दृष्टि में BUDGET AT A GLANCE

2020-21

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
4	राजस्व व्यय (उदय योजना सहित) Revenue Expenditure (With Uday Scheme)	16677318.50	19101960.84	18475659.90	18575002.79
	(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	2169519.79	2313265.66	2375904.46	2549419.89
4अ	राजस्व व्यय (उदय योजना रहित) Revenue Expenditure (Without Uday Scheme)	15477318.50	17720313.76	17094012.82	18575002.79
	(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	2169519.79	2313265.66	2375904.46	2549419.89
5	पूंजीगत व्यय (उदय योजना सहित) Capital Expenditure (With Uday Scheme)	3766609.55	4192440.35	4007230.84	3998147.09
5अ	पूंजीगत व्यय (उदय योजना रहित) Capital Expenditure (Without Uday Scheme)	3466609.55	4101891.35	3916681.84	3998147.09
6	कुल व्यय (उदय योजना सहित) (4+5) Total Expenditure (With Uday Scheme)	20443928.05	23294401.19	22482890.74	22573149.88
6अ	कुल व्यय (उदय योजना रहित) (4अ+5अ) Total Expenditure (Without Uday Scheme)	18943928.05	21822205.11	21010694.66	22573149.88

क्रमशः / Contd...





आय-व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE
2020-21

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
7	राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) (1-4) (उदय योजना सहित) Revenue Surplus (+) / Deficit (-) (With Uday Scheme)	-2890016.48	-2701497.42	-2804103.84	-1234560.64
7अ	राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) (1-4अ) (उदय योजना रहित) Revenue Surplus(+) / Deficit (-) (Without Uday Scheme)	-1690016.48	-1319850.34	-1422456.76	-1234560.64
8	बजट आधिक्य (+) / घाटा (-) (3-6) Budgetary Surplus (+) / Deficit (-)	-8135.57	6238.84	2217.19	3317.38
9	राजकोषीय घाटा (उदय योजना सहित) Fiscal Deficit (With Uday Scheme)	3447292.11	3267834.00	3221397.70	3392277.23
9अ	राजकोषीय घाटा (उदय योजना रहित) Fiscal Deficit (Without Uday Scheme)	3447292.11	3267834.00	3221397.70	3392277.23
10	प्रारम्भिक आधिक्य (+) / घाटा (-) (उदय योजना सहित) Primary Surplus (+) / Deficit (-) (With Uday Scheme)	-1277772.32	-954568.34	-845493.24	-842857.34
10अ	प्रारम्भिक आधिक्य (+) / घाटा (-) (उदय योजना रहित) Primary Surplus (+) / Deficit (-) (Without Uday Scheme)	-1277772.32	-954568.34	-845493.24	-842857.34

आय व्ययक एक दृष्टि में BUDGET AT A GLANCE


₹ करोड़ / Crore




* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है RUPEE GOES TO



पै. – पैसा P. – Paise

प्राप्तियां RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
1	स्वयं का कर राजस्व Own Tax Revenue	5738034.03	7374256.90	7035143.15	7702961.15
(i)	राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax	2293832.90	2900000.00	2560523.00	2825000.00
(ii)	भू-राजस्व Land Revenue	28994.28	42655.50	40498.50	51860.50
(iii)	मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	388603.12	535000.00	535000.00	560000.00
(iv)	राज्य उत्पाद शुल्क State Excise Duty	869410.41	1050000.00	1050000.00	1250000.00
(v)	बिक्री कर Sales Tax	1479096.34	2000000.01	2000000.00	2100000.00
(vi)	वाहनों पर कर Tax on Vehicles	457644.66	565000.00	565000.00	600000.00
(vii)	विद्युत पर कर तथा शुल्क Taxes & Duties on Electricity	214794.83	280401.00	280401.00	285000.00
(viii)	अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	5657.49	1200.39	3720.65	31100.65
2	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	4185235.00	4446186.00	3604914.00	4688617.00
(i)	वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax	1115295.00	1210766.00	1079287.00	1419121.00
(ii)	आयकर Income Tax	1071766.00	1158053.00	963113.00	1340993.00
(iii)	निगम कर Corporation Tax	1455299.00	1514899.00	1229137.00	1442206.00
(iv)	संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duty	197130.00	242457.00	104895.00	191202.00
(v)	सीमा शुल्क Custom Duty	296633.00	320051.00	228504.00	292642.00
(vi)	सेवा कर Service Tax	38839.00	0.00	-2360.00	2500.00
(vii)	अन्य कर Other Taxes	10273.00	-40.00	2338.00	-47.00

क्रमशः / Contd...

प्राप्तियां RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
	3 कर भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	1860300.98	1912411.84	1959743.89	1959572.77
	(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	579087.39	384199.57	403938.70	284614.45
	(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	5579.88	8345.00	5658.80	5663.80
	(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	1275633.71	1519867.27	1550146.39	1669294.52
	4 केन्द्रीय सहायता Union Grant	2003732.01	2667608.68	3071755.02	2989291.23
	5 कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4) Total Revenue Receipts	13787302.02	16400463.42	15671556.06	17340442.15

क्रमशः / Contd...

प्राप्तियां RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
6	पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना सहित) Capital Receipts (With Uday Scheme)	6648490.46	6900176.61	6813551.87	5236025.11
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां (उदय योजना रहित) Capital Receipts (Without Uday Scheme)	5148490.46	5427980.53	5341355.79	5236025.11
(i)	उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना सहित) Recovery of Loans & Advances (With Uday Scheme)	1515841.56	1619250.90	1582457.68	75156.17
	इसमें से उदय योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण का अंशपूंजी एवं सहायतार्थ अनुदान में रूपान्तरण of which Conversion of Loan into Grant and Equity under Uday Scheme	(1500000.00)	(1472196.08)	(1472196.08)	(0.00)
(i)अ	उधार एवं अग्रिम की वसूली (उदय योजना रहित) Recovery of Loans & Advances (Without Uday Scheme)	15841.56	147054.82	110261.60	75156.17
(ii)	आन्तरिक ऋण (उदय योजना सहित) Internal Debt (With Uday Scheme)	3520493.85	4004210.00	4037183.10	4277795.33
(ii)अ	आन्तरिक ऋण (उदय योजना रहित) Internal Debt (Without Uday Scheme)	3520493.85	4004210.00	4037183.10	4277795.33
(iii)	केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	264187.29	464059.09	431771.70	250354.12
(iv)	शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Account	1345955.22	810156.62	759639.39	629719.49
(v)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	2012.54	2500.00	2500.00	3000.00
7	कुल प्राप्तियां (5+6) (उदय योजना सहित) Total Receipts (With Uday Scheme)	20435792.48	23300640.03	22485107.93	22576467.26
7अ	कुल प्राप्तियां (5+6अ) (उदय योजना रहित) Total Receipts (Without Uday Scheme)	18935792.48	21828443.95	21012911.85	22576467.26

प्राप्तियां RECEIPTS

₹ करोड़ / Crore


स्वयं का कर राजस्व
OWN TAX REVENUE

केन्द्रीय करों में हिस्सा
SHARE IN CENTRAL TAXES

कर भिन्न राजस्व
NON-TAX REVENUE

केन्द्रीय सहायता
UNION GRANT

पूंजीगत प्राप्तियां
CAPITAL RECEIPTS



* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

व्यय EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
	I राजस्व व्यय (उदय योजना सहित) (i+ii+iii+iv) Revenue Expenditure (With Uday Scheme)	16677318.50	19101960.84	18475659.90	18575002.79
	Iअ राजस्व व्यय (उदय योजना रहित) (i+ii+iiiअ+iv) Revenue Expenditure (Without Uday Scheme)	15477318.50	17720313.76	17094012.82	18575002.79
(i)	सामान्य सेवाएं General Services	5436406.02	5828009.23	5794738.53	6202178.03
(ii)	सामाजिक सेवाएं Social Services	6568691.97	7662674.25	7229369.96	7642271.89
(iii)	आर्थिक सेवाएं (उदय योजना सहित) Economic Services (With Uday Scheme)	4672212.08	5611256.13	5451540.36	4730537.80
(iii)अ	आर्थिक सेवाएं (उदय योजना रहित) Economic Services (Without Uday Scheme)	3472212.08	4229609.05	4069893.28	4730537.80
(iv)	सहायता अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contributions	8.43	21.23	11.05	15.07

क्रमशः / Contd...

व्यय EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
	II पूंजीगत व्यय (उदय योजना सहित) (1+2+3) Capital Expenditure (With Uday Scheme)	3766609.55	4192440.35	4007230.84	3998147.09
	IIअ पूंजीगत व्यय (उदय योजना रहित) (1अ+2+3अ) Capital Expenditure (Without Uday Scheme)	3466609.55	4101891.35	3916681.84	3998147.09
	1. पूंजीगत परिव्यय (i+ii+iii) (उदय योजना सहित) Capital Outlay (With Uday Scheme)	1963820.26	1947233.72	1768873.36	2161894.62
	1अ पूंजीगत परिव्यय (i+ii+iiiअ) (उदय योजना रहित) Capital Outlay (Without Uday Scheme)	1663820.26	1856684.72	1678324.36	2161894.62
	(i) सामान्य सेवाएं General Services	58825.69	79313.80	61134.18	66266.68
	(ii) सामाजिक सेवाएं Social Services	691275.37	818871.58	715211.87	933074.99
	(iii) आर्थिक सेवाएं (उदय योजना सहित) Economic Services (With Uday Scheme)	1213719.20	1049048.34	992527.31	1162552.95
	(iii)अ आर्थिक सेवाएं (उदय योजना रहित) Economic Services (Without Uday Scheme)	913719.20	958499.34	901978.31	1162552.95

क्रमशः / Contd...

व्यय EXPENDITURE


(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2018-19	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2019-20	संशोधित अनुमान R.E. 2019-20	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2020-21
1	2	3	4	5	6
2.	लोक ऋण Public Debt	1691479.82	2004352.87	2004979.30	1762274.33
3.	ऋण एवं अग्रिम (उदय योजना सहित) Loan and Advances (With Uday Scheme)	111309.47	240853.76	233378.18	73978.14
3अ	ऋण एवं अग्रिम (उदय योजना रहित) Loans and Advances (Without Uday Scheme)	111309.47	240853.76	233378.18	73978.14
	कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत व्यय) (उदय योजना सहित) (I+II) Total Expenditure (Revenue + Capital) (With Uday Scheme)	20443928.05	23294401.19	22482890.74	22573149.88
	कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत व्यय) (उदय योजना रहित) (Iअ+IIअ) Total Expenditure (Revenue + Capital) (Without Uday Scheme)	18943928.05	21822205.11	21010694.66	22573149.88

व्यय EXPENDITURE



₹ करोड़ / Crore



* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावित योजना / परियोजनाओं के उद्ध्यय

2020—21

योजनाओं के उद्घ्यय 2020–21 के मुख्य बिन्दु

आय–व्ययक अनुमान 2020–21 में योजना उद्घ्यय अन्तर्गत ₹ 1,10,200.82 करोड़ प्रस्तावित हैं। योजनाओं के उद्घ्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	9363.89	8.50
2.	ग्रामीण विकास	11878.04	10.78
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	76.20	0.07
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3620.25	3.28
5.	विद्युत	18505.06	16.79
6.	उद्योग एवं खनिज	951.82	0.86
7.	यातायात	6834.38	6.20
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	12.77	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	54767.76	49.70
10.	आर्थिक सेवाएं	1681.87	1.53
11.	सामान्य सेवाएं	2508.78	2.28
योग		110200.82	100.00

क्षेत्रवार मुख्य–मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- कृषि विभाग के लिए ₹ 2,488.77 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि ₹ 1,041.48 करोड़ ।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹ 319.50 करोड़ ।
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए ₹ 279.29 करोड़ ।
 - ◆ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (ई.ए.पी.) हेतु ₹ 176.00 करोड़ ।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹ 185.00 करोड़ ।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए ₹ 94.00 करोड़ ।
 - ◆ परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए ₹ 41.67 करोड़ ।
 - ◆ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए ₹ 48.38 करोड़ ।
- उद्यानिकी विभाग के लिए ₹ 515.27 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹ 267.00 करोड़ ।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹ 91.67 करोड़ ।
 - ◆ राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹ 90.00 करोड़ ।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता के लिए ₹ 15.78 करोड़ ।

- पांच कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹ 181.88 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि विपणन के लिये ₹ 105.50 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ भण्डारण आधारभूत संरचना निधि के लिये ₹ 25.50 करोड़।
 - ◆ किसान कल्याण निधि के लिये ₹ 80.00 करोड़।
- पशुपालन के लिए ₹ 304.73 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ पशु अस्पताल और औषधालय के लिए ₹ 174.34 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹ 41.31 करोड़।
 - ◆ भेड़ एवं बकरी नस्ल सुधार योजना के लिए ₹ 7.42 करोड़।
 - ◆ पशुनस्ल सुधार योजना के लिए ₹ 20.00 करोड़।
 - ◆ पशुपौली क्लिनिक्स के लिए ₹ 25.00 करोड़।
 - ◆ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर हेतु ₹ 91.03 करोड़।
- गोपालन विभाग के लिए ₹ 713.60 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ गौशालाओं हेतु ₹ 508.08 करोड़ का अनुदान।
 - ◆ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- मत्स्य विभाग के लिए ₹ 5.14 करोड़ का प्रावधान।
- वानिकी क्षेत्र के लिये ₹ 172.29 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 12.06 करोड़ का प्रावधान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण (बाह्य सहायता प्राप्त) के लिये एवं जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल विस्तार की रोकथाम योजना के लिये ₹ 36.77 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- सहकारिता के लिये ₹ 4,755.07 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹ 4,173.00 करोड़।
 - ◆ सहकारी संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹ 540.00 करोड़।
- जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिये ₹ 30.60 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 151.75 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 214.17 लाख मै.टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 49.50 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 70.91 लाख मै.टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.60 लाख मै.टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 6.20 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 20.42 लाख गांठें

- ◆ कृत्रिम गर्भाधान — 67.05 लाख
- ◆ बंध्याकरण — 6.60 लाख
- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन — 1,050 मिलियन (संख्या)
- ◆ मत्स्य उत्पादन — 61,000 मेट्रिक टन
- ◆ पौध वितरण — 50.00 लाख।
- ◆ पौधारोपण (वानिकी) — 21,191 हैक्टेयर

2. ग्रामीण विकास:

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज हेतु राशि ₹ 11,878.04 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 2,000.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹ 2,565.00 करोड़।
 - ◆ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिए ₹ 1,988.51 करोड़।
 - ◆ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 2,267.93 करोड़।
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹ 1,200.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डबल्यू.एम.पी.—जल ग्रहण घटक) के लिए ₹ 270.00 करोड़।
 - ◆ राजीव गाँधी जल संचय योजना के लिये ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 450.00 करोड़।
 - ◆ जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता के लिए ₹ 420.88 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹ 219.00 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 2,69,000 नये आवासों का निर्माण।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आई.डबल्यू.एम.पी.—जल ग्रहण घटक) के अन्तर्गत 2,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ₹ 76.20 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 64.21 करोड़।
 - ◆ मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 5.00 करोड़।
 - ◆ मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 6.99 करोड़।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 3,620.25 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ परवन परियोजना के लिये ₹ 866.00 करोड़।

- ◆ राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका उन्नयन परियोजना के लिये ₹ 465.40 करोड़।
- ◆ बाह्य सहायतित परियोजना मरू क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के लिये ₹ 378.70 करोड़।
- ◆ धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए ₹ 325.00 करोड़।
- ◆ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ₹ 175.00 करोड़।
- ◆ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए ₹ 50.00 करोड़।
- ◆ गरडडा परियोजना के लिए ₹ 40.00 करोड़।
- ◆ तकली परियोजना के लिए ₹ 39.99 करोड़।
- ◆ गागरीन परियोजना के लिए ₹ 45.00 करोड़।
- ◆ हतियादेह परियोजना के लिए ₹ 40.05 करोड़।
- ◆ जयसमन्द परियोजना के लिए ₹ 33.00 करोड़।
- ◆ लघु सिंचाई कार्यों के लिये ₹ 194.99 करोड़।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के लिये ₹ 185.00 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के लिये ₹ 65.27 करोड़ का प्रावधान
- सिंचित क्षेत्र विकास के लिये ₹ 175.14 करोड़ का प्रावधान
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 45,154 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, जिसके अन्तर्गत—
 - 26,000 हैक्टेयर में वृहद्ध सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 11,654 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा
 - 7,500 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।

5. विद्युत:

- विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान योजना हेतु ₹ 14,331.98 करोड़।
- राज्य सरकार द्वारा विद्युत कम्पनियों को ₹ 2,271.50 करोड़ का इक्विटी अंशदान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को ₹ 385.00 करोड़।
 - ◆ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को ₹ 275.00 करोड़।
 - ◆ विद्युत वितरण निगमों को ₹ 1,611.50 करोड़।
- विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान हेतु ₹ 1,572.06 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा वितरण निवेश कार्यक्रम (ई.ए.पी.) हेतु ₹ 243.66 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना (ई.ए.पी.) हेतु ₹ 50.42 करोड़ का प्रावधान।

6. उद्योग एवं खनन:

- एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के लिए ₹ 500.65 करोड़ का प्रावधान।
- उद्योग विभाग हेतु ₹ 211.32 करोड़ का प्रावधान।
- दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर हेतु ₹ 108.01 करोड़ का प्रावधान।
- रीको के लिये ₹ 75.00 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग हेतु ₹ 28.18 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10,000 व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।
 - ◆ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत 1,360 व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।
 - ◆ जिला स्तर पर 35 तथा पंचायत समिति स्तर पर 248 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन।

7. परिवहन:

- सार्वजनिक निर्माण विभाग हेतु ₹ 6,277.18 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु ₹ 1,215.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए ₹ 1,050.00 करोड़।
 - ◆ बाह्य सहायतित परियोजना हेतु ₹ 931.70 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राजस्थान राज्य उच्च राजमार्ग परियोजना – I (₹ 481.00 करोड़) एवं राजस्थान राज्य उच्च राजमार्ग परियोजना– II (₹ 450.70 करोड़) हेतु प्रावधान।
 - ◆ केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 650.00 करोड़।
 - ◆ राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 1,400.00 करोड़।
 - ◆ आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹ 427.10 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सड़कों के निर्माण हेतु ₹ 100.13 करोड़।
 - ◆ सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 215.49 करोड़।
 - ◆ राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के लिए ₹ 250.00 करोड़।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 2,180 किमी. राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 7,600 किमी. ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 1,277 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
 - ◆ 800 किमी. मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण।

- ◆ 508 किमी. विकास पथ/सी.सी. सड़कों का निर्माण।
- परिवहन विभाग के लिये राशि ₹ 551.20 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये ₹ 210.00 करोड़।
 - ◆ सड़क सुरक्षा निधि के लिये ₹ 113.43 करोड़।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 10.17 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यावरण विभाग के लिये ₹ 2.60 करोड़ का प्रावधान।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 10,059.00 करोड़ प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹ 9,265.41 करोड़।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए ₹ 1,540.90 करोड़।
 - ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण (RTE) हेतु ₹ 362.00 करोड़।
 - ◆ बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹ 210.60 करोड़।
 - ◆ प्राथमिक विद्यालयों हेतु ₹ 88.00 करोड़।
 - ◆ राजकीय विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण हेतु ₹ 70.00 करोड़।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये राशि ₹ 9,004.89 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ माध्यमिक विद्यालयों हेतु ₹ 6,311.22 करोड़।
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹ 1,635.86 करोड़।
 - ◆ विद्यालयों भवनों के निर्माण कार्य नाबार्ड के तहत ₹ 220.00 करोड़।
 - ◆ खण्डीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के मॉडल विद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 264.85 करोड़।
 - ◆ पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति हेतु ₹ 194.19 करोड़।
 - ◆ ग्रामीण बालिकाओं के लिए साईकिल वितरण हेतु ₹ 115.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना हेतु ₹ 70.00 करोड़।
 - ◆ लेपटॉप वितरण के लिए ₹ 48.00 करोड़।
- महाविद्यालय शिक्षा के लिये ₹ 322.99 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹ 49.74 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹ 40.00 करोड़ का प्रावधान।
- संस्कृत शिक्षा के लिये ₹ 109.69 करोड़ का प्रावधान।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ मिड-डे-मील योजनान्तर्गत 47 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ प्रतिभावान बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 1.35 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि।
- ◆ स्कूटी वितरण योजना अन्तर्गत 1,650 महाविद्यालय छात्राओं को स्कूटी वितरण।
- ◆ मुख्यमंत्री सम्बल योजनान्तर्गत 400 छात्राओं को लाभान्वित करना।
- ◆ पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 3.60 लाख अनुसूचित जाति, 3.56 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 4.40 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ साईकिल वितरण योजनान्तर्गत 3.40 लाख छात्राओं को साईकिल वितरण।
- ◆ लैपटॉप वितरण योजनान्तर्गत 31,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (आयुष सहित) के लिये ₹ 8,769.51 करोड़ का प्रावधान।

➤ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 3,355.11 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ जन स्वास्थ्य बीमा योजना के लिये ₹ 1,241.51 करोड़।
- ◆ निःशुल्क दवा वितरण योजना के लिये ₹ 619.29 करोड़।
- ◆ निःशुल्क जाँच योजना हेतु ₹ 220.26 करोड़।
- ◆ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹ 309.84 करोड़।
- ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹ 343.14 करोड़।
- ◆ उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹ 105.90 करोड़।
- ◆ नाबार्ड की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु ₹ 108.00 करोड़।
- ◆ जिला अस्पताल भवनों के निर्माण हेतु ₹ 76.35 करोड़।

➤ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के लिए ₹ 1,629.43 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 1,438.72 करोड़।
- ◆ एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए ₹ 129.00 करोड़।
- ◆ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये ₹ 61.71 करोड़।

➤ परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹ 1,041.02 करोड़ का प्रावधान।

➤ चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹ 1,145.33 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये ₹ 737.50 करोड़।

- ◆ राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी के लिये ₹ 240.00 करोड़।
- ◆ झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी को अनुदान के ₹ 101.00 करोड़।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर हेतु एवं ₹ 42.60 करोड़।
- आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी) हेतु ₹ 206.33 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण।
 - ◆ 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण।
 - ◆ 103 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण।
 - ◆ 500 नवीन जनता क्लीनिक खोलना।
 - ◆ 22 जिला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करना।
 - ◆ 17 उप जिला चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर सी.टी.स्कैन सुविधा प्रदान करना।
 - ◆ 29 जिला चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर एम.आर.आई. की सुविधा प्रदान करना।
 - ◆ लगभग 1.10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- ग्रामीण एवं शहरी जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 4,999.47 करोड़ का प्रावधान।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 7,195.76 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ बाह्य सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹ 679.99 करोड़।
 - ◆ राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के लिए ₹ 569.10 करोड़।
 - ◆ 15वें वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 929.50 करोड़।
 - ◆ राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 1,211.97 करोड़।
 - ◆ चुंगी समाप्ति पुनर्भरण के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 2,084.00 करोड़।
 - ◆ अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना हेतु ₹ 403.12 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹ 200.05 करोड़।
 - ◆ जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹ 134.00 करोड़।
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन के लिये ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।

- ◆ स्मार्ट सिटी योजना हेतु ₹ 400.00 करोड़।
- ◆ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ₹ 60.00 करोड़।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 5,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करना।
- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत 20,000 शहरी गरीबों को प्रशिक्षण।
- ◆ 6,000 शहरी गरीब युवकों को स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता।

श्रम एवं श्रम कल्याण

- रोजगार विभाग के लिए ₹ 636.62 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 616.20 करोड़ मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के सम्मिलित।
- तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग के लिए ₹ 138.94 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के लिये ₹ 15.00 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत 1,60,000 बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए ₹ 8,303.74 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 182.21 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हेतु ₹ 3,892.78 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना हेतु ₹ 1,718.60 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु ₹ 475.76 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ₹ 412.31 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹ 243.52 करोड़, विधवा पेंशन हेतु ₹ 157.63 करोड़ एवं विशेष योग्यजन पेंशन योजना हेतु ₹ 11.16 करोड़।
 - ◆ अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 447.35 करोड़।
 - ◆ अनु.जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 285.00 करोड़।
 - ◆ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 81.77 करोड़।
 - ◆ पालनहार योजना हेतु ₹ 260.00 करोड़।
 - ◆ देवनारायण योजना के लिए ₹ 174.26 करोड़।

- ◆ छात्रावासों के रख-रखाव के लिए ₹ 106.97 करोड़।
- ◆ अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत ₹ 36.00 करोड़।
- ◆ सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं व आपदा राहत इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु ₹ 30.00 करोड़।
- ◆ अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ₹ 35.00 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि के लिये ₹ 18.25 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ सहयोग योजना हेतु ₹ 15.00 करोड़ का प्रावधान।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ 64.55 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजनों के लिये मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ 8.36 लाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 11.33 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य:
 - 7.61 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन।
 - 3.46 लाख को विधवा पेंशन।
 - 25,681 व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹ 60.62 करोड़ का प्रावधान।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ 5,000 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता।
- ◆ 150 विशेष योग्यजन छात्रों को छात्रवृत्ति।
- ◆ 1,500 विशेष योग्यजनों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुदान।
- ◆ 300 विशेष योग्यजनों के विवाह हेतु सहायता।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये ₹ 607.30 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ 'जनजाति कल्याण निधि' अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के लिए ₹ 321.17 करोड़।
 - ◆ भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत ₹ 134.60 करोड़।
 - ◆ जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए ₹ 89.90 करोड़।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ 25,290 विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास के माध्यम से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ 78,270 विद्यार्थियों को माँ-बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ 1.17 लाख सहरिया, 9,066 खैरवा व 2,906 कथौड़ी व्यक्तियों को दाल, तेल एवं देसी घी का मुफ्त वितरण।
- ◆ 50 हजार जनजाति छात्राओं को माध्यमिक व महाविद्यालय शिक्षा हेतु सहायता।
- ◆ 1.70 लाख व्यक्तियों को कृषि विकास योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ 3,840 युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण।
- ◆ 5,000 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सहायता।

महिला एवं बाल विकास

➤ महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 384.30 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ₹ 250.00 करोड़।
- ◆ इन्दिरा महिला शक्ति योजना के लिए ₹ 70.65 करोड़।
- ◆ जिला महिला विकास अभिकरण के लिए ₹ 42.40 करोड़।

➤ बाल विकास सेवाओं हेतु ₹ 1,968.47 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ समेकित बाल विकास योजना के लिए ₹ 1,032.86 करोड़।
- ◆ पूरक पोषाहार के लिए ₹ 620.14 करोड़।
- ◆ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के लिए ₹ 159.78 करोड़।
- ◆ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए ₹ 121.99 करोड़।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ 36.00 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ 5.00 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।

अल्पसंख्यक विकास

➤ अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 144.21 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ मदरसा स्कूलों के लिए ₹ 62.74 करोड़।
- ◆ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 64.02 करोड़।

बाल अधिकारिता निदेशालय

➤ बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹ 68.48 करोड़ का प्रावधान, जिसमें आई.सी.पी. एस. योजना के लिए ₹ 59.34 करोड़ सम्मिलित हैं।

देवस्थान विभाग

- देवस्थान विभाग के लिए ₹ 21.15 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 14.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के सम्मिलित।

10. आर्थिक सेवाएं:

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹ 797.84 करोड़ का प्रावधान।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹ 591.46 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु ₹ 583.32 करोड़ की राशि भी शामिल।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹ 175.90 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन विभाग के लिये ₹ 105.76 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के लिए ₹ 1,340.62 करोड़ का प्रावधान।
- वाणिज्य कर विभाग हेतु ₹ 410.76 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु ₹ 394.92 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- न्यायिक भवनों के लिए ₹ 227.00 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस आधुनिकीकरण एवं पुलिस भवनों के लिए ₹ 182.60 करोड़ का प्रावधान।
- होमगार्ड विभाग के लिए ₹ 100.54 करोड़ का प्रावधान।
- सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹ 19.34 करोड़ का प्रावधान।
- जेल भवनों के लिए ₹ 21.70 करोड़ का प्रावधान।
- कोष एवं लेखा विभाग के लिए ₹ 16.21 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

SCHEMES / PROJECTS OUTLAY

2020-21

Highlights of Schematic Outlay 2020-21

₹ 1,10,200.82 crore are proposed under Schematic Outlay in Budget Estimates 2020-21. The Sector-wise details of the Schemes outlay is as under:-

(₹in crore)

S. No.	Sector	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	9363.89	8.50
2.	Rural Development	11878.04	10.78
3.	Special Area Programme	76.20	0.07
4.	Irrigation & Flood Control	3620.25	3.28
5.	Power	18505.06	16.79
6.	Industry & Minerals	951.82	0.86
7.	Transport	6834.38	6.20
8.	Scientific Services	12.77	0.01
9.	Social & Community Services	54767.76	49.70
10.	Economic Services	1681.87	1.53
11.	General Services	2508.78	2.28
Total		110200.82	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Provision of ₹2,488.77 crore for Agriculture Department which includes;
 - ₹ 1,041.48 crore for Weather Based Crop Insurance Scheme.
 - ₹ 319.50 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
 - ₹ 279.29 crore for National Food Security Mission
 - ₹ 176.00 crore for Externally Aided Rajasthan Agriculture Competitive Project (EAP)
 - ₹ 185.00 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
 - ₹ 94.00 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology.
 - ₹ 41.67 crore for Paramparagat Krishi Vikas Yojana
 - ₹ 48.38 crore for National Mission on Sustainable Agriculture
- Provision of ₹ 515.27 crore for Horticulture Department which includes;
 - ₹ 267.00 crore for Additional Subsidy for Solar Pump Sets
 - ₹ 91.67 crore for Micro Irrigation Scheme
 - ₹ 90.00 crore for National Horticulture Mission
 - ₹ 15.78 crore for Additional Subsidy for Drip Irrigation Installation under Micro Irrigation Scheme

- Provision of ₹ 181.88 crore for Five Agriculture Universities.
- Provision of ₹ 105.50 crore for Agriculture Marketing which includes;
 - ₹ 25.50 crore for Warehouse Infrastructure Fund.
 - ₹ 80.00 crore for Farmer Welfare Fund.
- Provision of ₹ 304.73 crore for Animal Husbandry which includes;
 - ₹ 174.34 crore for Veterinary Hospitals and Dispensaries.
 - ₹ 41.31 crore for Mukhyamantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana.
 - ₹ 7.42 crore for Sheep & Goat Breed Improvement Scheme
 - ₹ 20.00 crore for Livestock Breed Improvement Scheme
 - ₹ 25.00 crore for Veterinary Polyclinics
 - ₹ 91.03 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner
- Provision of ₹ 713.60 crore for Gopalan Department which includes;
 - Provision of ₹ 508.08 crore for Grant to Goshalas
 - Provision of ₹ 200.00 crore for Mukhyamantri Milk Producer Sambal Scheme
- Provision of ₹ 5.14 crore for Fisheries Department
- Provision of ₹ 172.29 crore for Forestry which includes a provision of ₹ 12.06 crore for Externally Aided Rajasthan Forest and Bio-diversity Project Phase-II and ₹ 36.77 crore for Climate Change and Combating Desertification.
- Provision of ₹ 4,755.07 crore for Cooperative, which includes;
 - ₹ 4,173.00 crore for Agriculture Loan Waiver Scheme
 - ₹ 540.00 crore for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institutions
- Provision of ₹ 30.60 crore for Watershed Development and Soil Conservation.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 151.75 lakh hect.
 - Production of Food Crops – 214.17 lakh M.T.
 - Area under Oilseeds – 49.50 lakh hect.
 - Production of Oilseeds – 70.91 lakh M.T.
 - Area under Sugarcane – 0.05 lakh hect.
 - Production of Sugarcane – 3.60 lakh M.T.
 - Area under Cotton – 6.20 lakh hect.
 - Production of Cotton – 20.42 lakh Bails
 - Artificial Insemination – 67.05 lakhs

- Castration – 6.60 lakhs
- Fish Seed Production – 1,050 Million (No.)
- Fish Production – 61,000 MT
- Distribution /Raising of Plants – 50.00 lakh
- Plantation (Forestry) – 21,191 Hect.

II. Rural Development

- ₹ 11,878.04 crore for Rural Development & Panchayati Raj which includes;
 - ₹ 2,000.00 crore as Grants to PRIs under 15th Finance Commission
 - ₹ 2,565.00 crore for Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen
 - ₹ 1,988.51 crore for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MG NREGS)
 - ₹ 2,267.93 crore as Grants to PRIs under State Finance Commission
 - ₹ 1,200.00 crore for Swachh Bharat Mission (Rural)
 - ₹ 270.00 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (IWMP-Watershed Component)
 - ₹ 100.00 crore for Rajeev Gandhi Jal Sanchay Yojana
 - ₹ 450.00 crore for MLA Local Area Development Scheme
 - ₹ 420.88 crore for aid to Zila Parishad/Zila Level Panchayats
 - ₹ 219.00 crore for National Rural Livelihood Mission

Important physical targets:

- Construction of 2,69,000 new houses under Pradhan Mantri Awas Yojana
- 2,00,000 hect. area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (IWMP - Watershed Component)

III. Special Area Programme

- Provision of ₹ 76.20 crore for Special Area Programmes which includes;
 - ₹ 64.21 crore for Border Area Development Programme
 - ₹ 5.00 crore for Magra Area Development
 - ₹ 6.99 crore for Mewat Area Development Programme

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹ 3,620.25 crore for Irrigation & Flood Control which includes;
 - ₹ 866.00 crore for Parwan Project
 - ₹ 465.40 crore for Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project

- ₹ 378.70 crore for Externally Aided Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area
- ₹ 325.00 crore for Dholpur Lift Project
- ₹ 175.00 crore for Eastern Rajasthan Canal Project
- ₹ 50.00 crore for Dam Rehabilitation & Improvement Project
- ₹ 40.00 crore for Gardada Project
- ₹ 39.99 crore for Takli Project
- ₹ 45.00 crore for Gagrin Project
- ₹ 40.05 crore for Hatiadeh Project
- ₹ 33.00 crore for Jaisamand Project
- ₹ 194.99 crore for Minor Irrigation Works
- Provision of ₹ 185.00 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner
- Provision of ₹ 65.27 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Jaisalmer
- Provision of ₹ 175.14 crore for Command Area Development
- Important physical targets:
 - Additional irrigation potential to be created in 45,154 hectares-
 - 26,000 hect. through Major Irrigation Schemes
 - 11,654 hect. through Minor Irrigation Schemes
 - 7,500 hect. through Medium Irrigation Projects

V. Power

- Provision of ₹ 14,331.98 crore for Power Tariff Subsidy
- ₹ 2,271.50 crore as Equity Support to Power Companies which includes;
 - ₹ 385.00 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 275.00 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - ₹ 1,611.50 crore for Discoms
- Provision of ₹ 1,572.06 crore as subsidy for Electricity Duty
- Provision of ₹ 243.66 crore for Rajasthan Renewable Energy Transmission Investment Programme (EAP)
- Provision of ₹ 50.42 crore Green Energy Corridor Project (EAP)

VI. Industry and Minerals

- Provision of ₹ 500.65 crore for HPCL Rajasthan Refinery Ltd.
- Provision of ₹ 211.32 crore for Industries Department

- Provision of ₹ 108.01 crore for Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- Provision of ₹ 75.00 crore for RIICO
- Provision of ₹ 28.18 crore for Mines & Geology Deptt.
- Important physical targets:
 - Interest Subsidy to 10,000 persons under Mukhyamantri Laghu Udhog Protsahan yojana
 - Interest Subsidy to 1,360 persons under Pradhanmantri Rojgar Srajan Yojana
 - 35 Udhogic Protsahan Shivar at Zila Level and 248 Shivar at Panchayat Level

VII. Transport

- Provision of ₹ 6,277.18 crore for Public Works Department.
 - ₹ 1,215.00 crore for Rural Roads.
 - ₹ 1,050.00 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
 - ₹ 931.70 crore for Externally Aided Rajasthan State Highway Development Project-I (₹481.00 crore) and Rajasthan State Highway Development Project-II (₹450.70 crore)
 - ₹ 650.00 crore under Central Road Fund (CRF)
 - ₹ 1,400.00 crore under State Road Fund (SRF)
 - ₹ 427.10 crore for NABARD assisted road works under RIDF
 - ₹ 100.13 crore for construction of Roads in National Capital Region
 - ₹ 215.49 crore for construction of Border Area Roads
 - ₹ 250.00 crore for Strengthening, Modernization and Renovation of State Highways & Major District Roads
- Important physical targets:
 - Widening, Strengthening & Renewal of 2,180 Km SHW/ MDR
 - Renewal / Upgradation / Strengthening of 7,600 Km. Rural Roads
 - Construction of 1,277 Km Rural Roads
 - Construction of 800 Km Missing Links
 - Construction of 508 Km Vikas Paths/ CC Roads
- Provision of ₹ 551.20 crore for Transport Department which includes;
 - ₹ 210.00 crore for RSRTC
 - ₹ 113.43 crore for Road Safety Fund

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹ 10.17 crore for Science & Technology
- Provision of ₹ 2.60 crore for Environment Department

IX. Social & Community Services:

Education

- Provision of ₹ 10,059.00 crore for Elementary Education which includes;
 - ₹ 9,265.41 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA)
 - ₹ 1,540.90 crore for Mid-Day Meal
 - ₹ 362.00 crore for reimbursement of tuition fee to Private Schools under R.T.E.
 - ₹ 210.60 crore for Boys Upper Primary Schools
 - ₹ 88.00 crore for Primary Schools
 - ₹ 70.00 crore for Free Books distribution in Government Schools of class 1 to 8 students
- Provision of ₹ 9,004.89 crore for Secondary Education which includes;
 - ₹ 6,311.22 crore for Secondary Schools
 - ₹ 1,635.86 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA)
 - ₹ 220.00 crore for Construction of School Buildings under NABARD
 - ₹ 264.85 crore for establishment of High Quality Model Schools at Block Level
 - ₹ 194.19 crore for Pre-Matric Scholarship to SC/ST/OBC
 - ₹ 115.00 crore for Cycle Distribution to Girl students of Rural Area
 - ₹ 70.00 crore for Mukhyamantri Jan Sahbhagita School Development Scheme
 - ₹ 48.00 crore for Laptop Distribution
- Provision of ₹ 322.99 crore for College Education Department
- Provision of ₹ 49.74 crore for Technical Education Department
- Provision of ₹ 40.00 crore for Sports & Youth Welfare
- Provision of ₹ 109.69 crore for Sanskrit Education
- Important physical targets:
 - Target to benefit 6.50 lakh students under R.T.E
 - Target to benefit 47.00 Lakh students under Mid Day Meal scheme
 - Target to benefit 1.35 lakh Girl students under Incentive for Meritorious Girls scheme
 - Target to benefit 1,650 College Girl students under Scooty Distribution scheme
 - Target to benefit 400 Girl students under Mukhyamantri Sambal Yojana
 - Target to benefit: 3.60 lakh SC Students, 3.56 lakh ST Students and 4.40 lakh OBC Students under Pre-Matric Scholarship
 - Target to benefit 3.40 lakh Girl students under Cycle Distribution scheme
 - Target to benefit 31,000 students under Laptop Distribution

Medical & Health

Provision of ₹ 8,769.51 crore for Medical & Health Sector including Ayush

- Provision of ₹ 3,355.11 crore for Medical & Health Department which includes;
 - ₹ 1,241.51 crore for Public Health Insurance Scheme
 - ₹ 619.29 crore for Nishulk Drug Distribution Scheme
 - ₹ 220.26 crore for Nishulk Janch Yojana
 - ₹ 309.84 crore for Primary Health Centers
 - ₹ 343.14 crore for Community Health Centers
 - ₹ 105.90 crore for Health Sub-Centers
 - ₹ 108.00 crore for construction of Primary Health Centers, Community Health Centers and Sub-Centers under NABARD
 - ₹ 76.35 crore for construction of District Hospitals Buildings
- Provision of ₹ 1,629.43 crore for NHM which includes;
 - ₹ 1,438.72 crore for National Rural Health Mission (NRHM)
 - ₹ 129.00 crore for Ambulance Service Yojana
 - ₹ 61.71 crore for National Urban Health Mission
- Provision of ₹ 1,041.02 crore for Family Welfare Department
- Provision of ₹ 1,145.33 crore for Medical Education Department which includes;
 - ₹ 737.50 crore for New Medical Colleges
 - ₹ 240.00 crore for Rajasthan Medical Education Society
 - ₹ 101.00 crore for Grant-in-aid to Jhalawar Hospital & Medical College Society
- Provision of ₹ 42.60 crore for Rajasthan Health Science University, Jaipur.
- Provision of ₹ 206.33 crore for Ayush (Ayurved, Unani and Homeopathy)
- Important physical targets:
 - Construction of 100 PHC buildings.
 - Construction of 54 CHC buildings.
 - Construction of 103 Sub-centre buildings.
 - Opening of 500 New Janta Clinic
 - Establishing 22 District Public Health Lab
 - Providing CT Scan Facility on PPP mode at 17 SDH
 - Providing MRI Facility on PPP mode in 29 District Hospitals
 - Health assurance coverage to nearly 1.10 crore families

PHED

- Provision of ₹ 4,999.47 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes

Housing & Urban Development

- Provision of ₹ 7,195.76 crore for Housing & Urban Development which includes;
 - ₹ 679.99 crore for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
 - ₹ 569.10 crore for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund
 - ₹ 929.50 crore as grants to ULBs under 15th Finance Commission
 - ₹ 1,211.97 crore as grants to ULBs under State Finance Commission
 - ₹ 2,084.00 crore as grants to ULBs on account of abolition of Octroi
 - ₹ 403.12 crore for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Yojana
 - ₹ 200.05 crore for Pradhan Mantri Aawas Yojana
 - ₹ 134.00 crore for Jaipur Metro Rail Project
 - ₹ 100.00 crore for Swachh Bharat Mission
 - ₹ 100.00 crore for Annapurna Yojana
 - ₹ 400.00 crore for Smart City Yojana
 - ₹ 60.00 crore for National Urban Livelihood Mission
- Important physical targets:
 - 5,000 Self Help Group to be formed and providing revolving fund under DAY-NULM.
 - Target to provide training to 20,000 urban poor under NULM.
 - 6,000 urban poor will be provided financial support through bank for setting up their micro enterprises.

Labour & Labour Welfare

- Provision of ₹ 636.62 crore for Employment Department which includes ₹ 616.20 crore for Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana
- Provision of ₹ 138.94 crore for Technical (Training) Education
- Provision of ₹ 15.00 crore for Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation (RSLDC)
- Important physical targets:
 - Assistance to 1,60,000 Unemployed persons under Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹ 8,303.74 crore for Social Justice & Empowerment Department which includes;
 - ₹ 182.21 crore for Small & Marginal Old Farmers Samman Pension Scheme
 - ₹ 3,892.78 crore for Chief Minister Samman Old Age Pension Yojana
 - ₹ 1,718.60 crore for Chief Minister Samman Widow Pension Yojana
 - ₹ 475.76 crore for Chief Minister Samman Specialty Abled Pension Yojana
 - ₹ 412.31 crore for National Social Assistance Programme (NSAP) which includes ₹ 243.52 crore for Old Age Pension ₹ 157.63 crore for Widow Pension & ₹ 11.16 crore for Disability Pension
 - ₹ 447.35 crore for Post-Matric Scholarship to SC Students
 - ₹ 285.00 crore for Post-Matric Scholarship to ST Students
 - ₹ 81.77 crore for Post-Matric Scholarship to OBC Students
 - ₹ 260.00 crore for Palanhar Scheme
 - ₹ 174.26 crore for Devnarayan Yojana
 - ₹ 106.97 crore for maintenance of Hostels
 - ₹ 36.00 crore for Special Central Assistance to SCSP
 - ₹ 30.00 crore for Chief Minister Relief Fund for Road Accident, Natural Calamities Disaster Relief & others
 - ₹ 35.00 crore for Protection of Civil Rights to SCs/STs
 - ₹ 18.25 crore for incentive to Inter-caste Marriage
 - ₹ 15.00 crore for Sahayog Scheme
- Important physical targets:
 - Target to benefit 64.55 lakh persons under Chief Minister Samman Pension Yojana for old age, widow & specially abled persons
 - Target to benefit 8.36 lakh students under Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students
 - Target to benefit 11.33 lakh persons under National Social Assistance Programme (NSAP)
 - Old-age Pension to 7.61 lakh persons
 - Widow Pension to 3.46 lakh widows
 - Disability Pension to 25,681 persons

Directorate of Specially Abled Person

- Provision of ₹ 60.62 crore for Directorate of Specially Abled Persons
- Important physical targets:
 - Prosthetic Aid to 5,000 persons

- Scholarship to 150 Specially Abled Students
- Subsidy to 1,500 persons under Mukhya Mantri Vishesh Yogyjan Swarojagar Yojana
- Assistance to 300 special abled persons for marriage

Tribal Area Development

- Provision of ₹ 607.30 crore for Tribal Area Development which includes;
 - ₹ 321.17 crore as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi"
 - ₹ 134.60 crore under proviso to Article 275(1) of the Constitution of India
 - ₹ 89.90 crore as Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan
- Important physical targets:
 - Target to benefit 25,290 students through Ashram Hostels.
 - Target to benefit 78,270 students through Maa-Bari Centers
 - Free distribution of Pulses, Oil & Ghee to 1.17 lakh Saharia, 9,066 Khairwa, 2,906 Kathori persons
- Assistance to 50,000 Tribal girl students for Secondary and College education
- Target to benefit 1.70 lakh persons under Agriculture Development Programme
- Training to 3,840 youths under Kaushal Vikas Karykram
- Assistance to 5,000 persons for self employment

Women and Child Development

- Provision of ₹ 384.30 crore for Women Development programme which includes;
 - ₹ 250.00 crore for Mukhyamantri Rajshree Yojana
 - ₹ 70.65 crore for Indira Mahila Sakti Yojana
 - ₹ 42.40 crore for District Women Dev. Agencies
- Provision of ₹ 1,968.47 crore for Child Development Services which includes;
 - ₹ 1,032.86 crore for ICDS
 - ₹ 620.14 crore for Supplementary Nutrition
 - ₹ 159.78 crore for National Nutrition Mission
 - ₹ 121.99 crore for PM Matru Vandana Yojana
- Important physical targets:
 - Target to benefit to 36.00 lakh children and women through Supplementary Nutrition
 - Target to benefit to 5.00 lakh women through PMMVY

Minority Development

- Provision of ₹ 144.21 crore for Minority Development Programme which includes;
- ₹ 62.74 crore for Madarsa Schools
- ₹ 64.02 crores for PM Jan Vikas Karykram

Directorate of Child Empowerment

- Provision of ₹ 68.48 crore for Directorate of Child Empowerment which includes ₹ 59.34 crore for Integrated Child Protection Scheme

Devasthan Department

- Provision of ₹ 21.15 crore for Devasthan Department which includes ₹ 14.00 crore for Varishth Nagrik Tirth Yatra Yojana.

X. Economic Services

- Provision of ₹ 797.84 crore for Information Technology & Communication Department
- Provision of ₹ 591.46 crore for Food & Civil Supply Department which includes funds of ₹ 583.32 crore for National Food Security Scheme
- Provision of ₹ 175.90 crore for Economic & Statistics Department.
- Provision of ₹ 105.76 crore for Tourism Department.

XI. General Services

- Provision of ₹ 1,340.62 crore for Disaster Management and Relief Department.
- Provision of ₹ 410.76 crore for Commercial Tax Department which includes ₹ 394.92 crore for subsidy under Rajasthan Investment Promotion Policy.
- Provision of ₹ 227.00 crore for Judicial Buildings
- Provision of ₹ 82.60 crore for Modernization of Police & Police Buildings
- Provision of ₹ 100.54 crore for Home Guard Department
- Provision of ₹ 19.34 crore for GAD Buildings,
- Provision of ₹ 21.70 crore for Jail Buildings,
- Provision of ₹ 16.21 crore for Treasuries & Accounts.